राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 310/2024 | तारीख रजू 31.07.2024 | निर्णय दिनांक 8.10.25

उनवानः

1. महावीर पुत्र श्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादी

दावा बाबत नाम दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः– श्री हरप्रित यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 837, 846, 848, 849, 859, 860 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना मे मिन वादी का नाम महावीर पुत्र अमरसिंह दर्ज किया हुआ है। जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम महावीर पुत्र मातादीन है। यही नाम मेरे आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व ग्राम प्रतापसिंहपुरा मे स्थित अन्य खाता सं0 85 व 82 ने मेरा सही नाम महावीर पुत्र मातादीन दर्ज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान मे मिन वादी के बुजूर्गो की विरासत दर्ज करते समय मिन वादी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी मिन वादी को अब हुई है। उक्त खसरा नम्बरान मे मेरा गलत नाम रहने से मिन वादी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए उक्त खसरा नम्बरान मे मेरे गलत नाम से दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जाने की प्रार्थना की गई ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन मे पी.ड.–1 स्वंय वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया गया तथा पी. ड.–2 हवासिंह गुर्जर पुत्र हरज्ञान के बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के दस्तावेजात पेश किये गये है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षकार उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण वादी का वाद डिक्री फरमाया जाने के तर्क दिये गये। पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब दावा के समर्थन मे तर्क दिये की वादी का वाद डिक्री किया जाने पर कोई राजअहित नही होता है।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वादग्रस्त खसरा नम्बर 837, 846, 848, 849, 859, 860 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा मे वादी का नाम महावीर पुत्र अमरसिंह दर्ज रिकार्ड है तथा खाता सं0 85 व 82 वाके ग्राम प्रतापसिहपुरा मे महावीर पुत्र मातादीन दर्ज रिकार्ड है। महावीर पुत्र अमरसिंह व महावीर पुत्र मातादीन वादी के ही नाम दर्ज रिकार्ड होना वादी द्वारा पेश आधार कार्ड, वोटर पहचान

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

पत्र परिवार राशन कार्ड एवं खाता सं0 85,82 मे दर्ज इन्द्राज एवं वादी व गवाह के शपथ पत्रो से साबित होने के कारण वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 837, 846, 848, 849, 859, 860 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–बहरोड की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर '' महावीर पुत्र अमरसिंह'' दर्ज है, उनको दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर '' महावीर पुत्र मातादीन '' दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 8.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

|| पर्चा डिक्री ||

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
310/2024	31.07.2024	8.10.25

उनवानः

1. महावीर पुत्र श्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

वनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादी

दावा बाबत नाम दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः– श्री हरप्रित यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

|| आदेश ||

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 837, 846, 848, 849, 859, 860 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–बहरोड की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " महावीर पुत्र अमरसिंह" दर्ज है, उनको दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर " महावीर पुत्र मातादीन " दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0